न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 12/23 दायरा दिनांक 21.12.2023

मांगीलाल पुत्र गोधा जाति जाटव निवासी दांता केलवाडा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0 अपीलान्ट

बनाम

1. विद्या पत्नि श्रीया पुत्री कडोरी जाति जाटव निवासी मुसरेडी तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
2. जानकी पत्नि कोमल पुत्री कडोरी जाति जाटव निवासी मुसरेडी तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
3. ग्राम पंचायत कस्बानौनेरा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण क्रमांक 37 दिनांक 27.10.1972 ग्राम बूढानौनेरा

निर्णय–दिनांक 08.04.2025

उपस्थित – अपीलाण्ट की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 27.10.1972 सर्वथा अवैध विधिविरूद्व होकर निरस्तनीय है। ग्राम बूढानौनेरा में ख0नं0 140 की 0.12 बीघा, 153 की 0.06 बीघा, 154 की 0.02 बीघा, 387 की 1.10 बीघा, 388 की 1.12 बीघा, 424 की 1.06 बीघा, 544 की 3.12 बीघा किता 7 कुल रकबा 9.00 बीघा कृषि भूमि सिथत है। ख0नं0 544 की 3.12 बीघा के खातेदार अपीलांट के पिता गोधा पुत्र कलुवा थे। शेष खसरा में खातेदार अपीलांट के पिता का भाई कडोरी था। सजरा अनुसार कलुवा के पुत्र गोधा व कडोरी हैं, गोधा के पुत्र मांगीलाल तथा कडोरी की पुत्रियां विद्या जानकी एवं पत्नि गजिया है। गोधा व कडोरी दोने की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद अपीलांट के पिता गोधा व पिता के भाई कडोरी की सम्पूर्ण खाते की भूमि का इंतकाल नं. 37 दिनांक 27.10.1972 अपीलांट के भाई कडोरी की पत्नि गजिया के नाम दर्ज किया गया जो अवैध होने से निरस्तनीय है। गजिया द्वारा तथ्य छिपाते हुये नैसर्गिक वारिस अपीलांट के नाम का लोप करते हुये सम्पूर्ण खाते का अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ख0नं0 544 रकबा 3.12 बीघा अपीलांट के पिता के खाते की है पर अपीलांट के नाम तथा कडोरी के शामिलाती खाते में से 1/2 पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः ग्राम बूढानौनेरा की भूमि के नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 27.10.1972 को निरस्त फरमाया जाकर गोधा के वारिसान अपीलांट के नाम ख0नं0 545 रकबा 3.12 बीघा सम्पूर्ण व अपीलांट के पिता के भाई कडोरी के शामिलाती खाते में से 1/2 हिस्सा पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 क्रम 1 व 2 स्वयं उपस्थित आई, लेकिन कोई जबाव पेश नहीं किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि ग्राम बूढानौनेरा तहसील शाहाबाद की वर्तमान जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

रेसपो0 क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी ख0नं0 140 की 0.12 बीघा, 153 की 0.06 बीघा, 154 की 0.02 बीघा, 387 की 1.10 बीघा, 388 की 1.12 बीघा, 424 की 1.06 बीघा, 544 की 3.12 बीघा किता 7 कुल रकबा 9.00 बीघा में से आराजी ख0नं0 544 रकबा 3.12 बीघा अपीलांट के पिता गोधा पुत्र कलुवा के नाम तथा शेष आराजी ख0नं0 140 की 0.12 बीघा, 153 की 0.06 बीघा, 154 की 0.02 बीघा, 387 की 1.10 बीघा, 388 की 1.12 बीघा, 424 की 1.06 बीघा किता 6 रकबा 5.08 बीघा अपीलांट के पिता गोधा व कडोरी के नाम हि.बरा. से दर्ज रही है, जिसे अपीलाधीन नामान्तरकरण नं. 37 से रेस्पो0 क्रम 1 व 2 की मां गजिया के नाम गलत दर्ज कर दिया है। जबकि ख0नं0 544 रकबा 3.12 बीघा को गोधा का पुत्र होने से अकेले अपीलांट के नाम तथा शेष ख0नं0 140 की 0.12 बीघा, 153 की 0.06 बीघा, 154 की 0.02 बीघा, 387 की 1.10 बीघा, 388 की 1.12 बीघा, 424 की 1.06 बीघा किता 6 रकबा 5.08 बीघा का हिस्सा 1/2 गोधा का पुत्र हाने से अपीलांट के नाम व हिस्सा 1/2 गजिया के नाम दर्ज करना चाहिये था। प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण नं. 37 में ख0नं0 544 रकबा 3.12 बीघा को गोधा पुत्र कलुवा के नाम तथा शेष आराजी किता 6 रकबा 5.08 बीघा को गोधा–कडोरी पुत्र कल्लू के नाम हि.ब. से दर्ज बताया गया है और दोनो खातो की भूमि अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये गोधा कडोरी का फोत होना बतलाकर वारिस वेवा गजिया के नाम दर्ज कर दी गई है, जो प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होता है, क्योंकि खातेदार गोधा तथा कडोरी दोनो की एक ही वेवा गजिया कैसे हो सकती है। इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज होने योग्य पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 37 ग्राम बूढानौनेरा दिनांक 27.10.1972 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार गोधा पुत्र कलुवा चमार निवासी बूढानौनेरा तथा खातेदार गोधा कडोरी पुत्र कल्लू चमार निवासी बूढानौनेरा के वारिसान की बारीकी से जांच कर उचित तथा वैध वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। नामान्तरकरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 08/04/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहाबाद जिला बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:12 IST
Reason: SelfAttested